

**सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें**

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग निगम द्वारा 15 मई, 2022 को एमआईटीसी अधिनियम और परिचालित की गयी जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मास्टर परिपत्र के अनुपालन में बैंकों के क्रेडिट कार्ड संचालन पर जारी किया गया है।

**1. शुल्क एवं प्रभार****क) प्रवेश शुल्क / व्यवस्था शुल्क, वार्षिक शुल्क और नवीकरण शुल्क**

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन ("अमेरिकन एक्सप्रेस") सीमित देता संस्था कार्ड (कॉर्पोरेट कार्ड) जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है। हालांकि, नीचे दिए गए प्रभार सारणी में वर्णित शुल्क के अनुसार कुछ सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड पर एक बार व्यवस्था शुल्क लागू होता है। वार्षिक सदस्यता शुल्क / नवीकरण शुल्क लागू होता है, जिसे प्रतिवर्ष लिया जाता है। यह प्रभार कंपनी के हिसाब से भिन्न भिन्न हो सकता है तथा सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड कार्यक्रम के लिए नामांकन करते समय सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) को सूचित किया जाता है। मानक वार्षिक शुल्क / नवीकरण शुल्क के विस्तार के लिए कृपया नीचे दिए गए प्रभार सारणी को देखें।

**ख) नकद अग्रिम / सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) एक्सप्रेस नकद**

सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड सदस्य को कंपनी से प्राधिकरण के अधीन विदेशों के चुनिंदा एटीएम से नकदी का उपयोग करने के लिए, सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड सदस्य नकद हर 15 दिनों में यूएसडी 1000 के बराबर भारतीय रुपये कंपनी की सीमा के अनुसार निर्दिष्ट किया गया नकद का उपयोग कर सकते हैं। नकद अग्रिमों पर मानक लेनदेन प्रभार के बारे में विस्तार के लिए, कृपया नीचे दिए गए प्रभारों की अनुसूची देखें।

**ग) अन्य सेवा प्रभार**

i) प्रभार और शुल्क, जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए या सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड से लिए जाने वाले कुछ लेनदेन के लिए सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) / या कार्ड सदस्य द्वारा देय है।

ii) प्रभार कंपनी से कंपनी भिन्न हो सकते हैं। कृपया किसी भी कंपनी विशिष्ट प्रभार के लिए सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) खाता नियम और शर्तें देखें।

दिनांक पर लागू होने वाले शुल्कों का मानक कार्यक्रम नीचे दिया गया है:

शुल्क का विवरण	मानक शुल्क (राशि)
कॉर्पोरेट कार्ड वार्षिक शुल्क	अमेरिकन एक्सप्रेस ग्रीन कॉर्पोरेट कार्ड = भारतीय रुपये 2,100 अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट खरीद कार्ड = भारतीय रुपये 2,100 अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट मीटिंग कार्ड = भारतीय रुपये 2,100 अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड कॉर्पोरेट कार्ड = भारतीय रुपये 3,100 अमेरिकन एक्सप्रेस व्यापार यात्रा खाता = शून्य
सदस्यता पुरस्कार® शुल्क	शून्य (कार्यक्रम अथवा सीमित देता संस्था के लिए व्यक्तिगत नामांकन, कंपनी नामांकन के अधीन है)
नकद अग्रिम शुल्क	आहरण राशि का 3.5%
विलंब शुल्क	बकाया का 3.5%, न्यूनतम भारतीय रुपये 100 के अधीन
वापसी शुल्क की जाँच करें	भारतीय रुपये 150 प्रति वापिस उपकरण
प्रतिलिपि कथन का अनुरोध	3 महीने से अधिक पुराने बयानों के लिए भारतीय रुपये 100 प्रति विवरण
प्रभार पुनर्प्राप्ति शुल्क का अभिलेख	भारतीय रुपये 100 प्रति पुनर्प्राप्ति
रेलवे टिकट की खरीद पर अधिभार	इंटरनेट (आईआरसीटीसी) के माध्यम से बुक करने पर न्यूनतम लेनदेन भारतीय रुपये 10 पर न्यूनतम 1.8 %
ईंधन खरीद पर अधिभार / सुविधाशुल्क	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ओ एम सी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के स्वामित्व वाले और / या संचालित ईंधन स्टेशनों पर न्यूनतम लेनदेन के हिसाब से प्रति भारतीय रुपये 10 लेनदेन का 1%। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) में, लेनदेन का 1% प्रति लेनदेन के हिसाब से सरचार्ज / सुविधा शुल्क भारतीय रुपये 5,000 से ऊपर या उसके बराबर के सभी लेनदेन के लिए लागू है। अन्य सभी निजी स्वामित्व वाली ईंधन कंपनियों जैसे शेल, अडानी, एस्सार आदि के लिए प्रति भारतीय रुपये 10 लेनदेन के 2.5% की अधिभार / सुविधा शुल्क लागू है।
विदेशी मुद्रा लेनदेन	3.5% विदेशी मुद्रा रूपांतरण चिह्नित
सरकारी रसीद लेखा प्रणाली (जीआरएस) के भुगतान पर सुविधा शुल्क	एसबीआई ई पे * के माध्यम से जीआरएस के सभी भुगतानों के लिए, नीचे वर्णित सुविधा शुल्क लागू होगा : अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा वसूला जाने वाला शुल्क : भारतीय रुपये 1 - भारतीय रुपये 90,00,000 : 0.94 % भारतीय रुपये 90,00,001 या उससे अधिक : 0.99% एसबीआई ई पे* द्वारा वसूला जाने वाला शुल्क :

	<p>भारतीय रुपये 1 - भारतीय रुपये 90,00,000 : 1%</p> <p>भारतीय रुपये 90,00,001 या उससे अधिक : 0.87% (करों का समावेश)</p> <p>*कृपया ध्यान दें कि एसबीआई ई पे* के माध्यम से जीआरएस को किए गए भुगतान पर किसी भी विवाद (नों) के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस और भारतीय स्टेट बैंक जिम्मेदार नहीं होंगे। कंपनी और / या कार्ड मेम्बर ऐसे सभी विवादों / मुद्दों / चिंताओं को सीधे जीआरएस के साथ उठाएंगे और सुलझाएंगे।</p>
सदस्यता पुरस्कार अंक - बहाली शुल्क	शून्य

### उस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

इस एम आई टी सी दस्तावेज़ में कहीं भी उल्लिखित कोई भी प्रभार लागू होने योग्य वस्तुओं और सेवाकर (जीएसटी) में शामिल नहीं हैं तथा इसे उस बिल के साथ जोड़ा जायेगा जो बिल विवरण पर दिखाई देता है तथा वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) की प्रचलित दर के अनुसार लगाया जायेगा।

### घ) देय तिथि

सभी प्रभार मासिक विवरण प्राप्त होने पर तुरंत विवरण पर दी गई तारीख तक देय हैं। मासिक विवरण ना मिलने की स्थिति में कार्डसदस्य को, कार्डसदस्य की अभिलेख की प्रति (आरओसी) के आधार पर प्रभार के 21 दिनों के भीतर या अमेरिकन एक्सप्रेस से अनुरोध किए जाने पर, प्रभार का पूरा भुगतान करने की आवश्यकता है।

**सांकेतिक उदाहरण:** 13 जनवरी, 2013 के मासिक विवरण के लिए नियत तारीख तक कुल देय राशि भारतीय रुपये 12,000 है। तब कार्डसदस्य को भुगतान देय तिथि पर या उससे पहले भारतीय रुपये 12,000 की पूरी राशि का भुगतान करना आवश्यक है।

### ङ) वित्त प्रभार

उत्पाद के अनुसार, कार्डसदस्य को वित्त प्रभार के भुगतान द्वारा अपने कार्ड पर अतिदेय शेष राशि पर घूमने की अनुमति नहीं है। कार्डसदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह देय तिथि पर कुल राशि का भुगतान करें या शुल्क वसूलने के 21 दिनों के भीतर।

#### i) अधिक ब्याज प्रभार

सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड के लिए कोई अति देय ब्याज प्रभार लागू नहीं है।

#### ii) चूक के मामले में प्रभार - विलंब प्रभार

बकाया शुल्क पर 3.5% की दर से विलंब शुल्क लगाया जाता है (न्यूनतम मासिक विलंब भारतीय रुपये 100 के साथ)। यदि अमेरिकन एक्सप्रेस को मासिक देय तिथि के आधार पर मासिक विवरण में दिखाए गए शुल्क से पूर्ण भुगतान नहीं मिलता है तो विलंब शुल्क लगाया जाता है। अवैतनिक विलंब शुल्क को स्वयं अति देय राशि के रूप में माना जाएगा और आगे विलंब शुल्क के आधीन होगा।

## उदाहरण

एक कार्डसदस्य के पास देय तिथि से देय भारतीय रुपये 12,000 की कुल राशि है। अगर कार्डसदस्य ने देय तिथि तक यह पूरी राशि नहीं दी है, तो विलंब शुल्क के विवरण में दिखाई जाएगी:

$$3.5\% * 12,000 = \text{भारतीय रुपये } 420$$

इस प्रकार कार्डसदस्य का प्रभार भारतीय रुपये 420 होगा, जो कि देय प्रभार है।

यह मानते हुए कि कुल बकाया (भारतीय रुपये 12,420 = भारतीय रुपये 12,000 + भारतीय रुपये 420) है जिसका अभी भी अगली नियत तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है, तब भारतीय रुपये 12,420 की पूरी राशि पर विलंब शुल्क लगेगा और यह अगले महीने के लेखा जोखा में दिखाई देगा। इस विलंब प्रभार की गणना फिर से की जाएगी:

$$3.5\% * 12,420 = \text{भारतीय रुपये } 434.7$$

कृपया ध्यान दें कि ऊपर दिए गए उदाहरण में बताई गई विलंब प्रभार, वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) से अन्य है। वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) की लागू दरों के अनुसार लगाए गए विलंब शुल्क पर बिल किया जाएगा।

## 2. व्यावहारिक सीमाएँ

### क) क्रेडिट सीमा और ख) उपलब्ध क्रेडिट सीमा

कॉर्पोरेट कार्डसदस्य को अपनी कंपनी के साथ खर्च की सीमा की जांच करने की आवश्यकता होती है। अमेरिकन एक्सप्रेस के पास किसी भी अनुरोध किये शुल्क के प्राधिकार को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्डसदस्य अपने द्वारा खर्च की जा सकने वाली राशियों को समझने के लिए सहायता रेखा (हेल्पलाइन) पर कॉल कर सकते हैं।

### ग) नकद निकासी सीमा

कंपनी से प्राधिकरण के लिए कार्डसदस्य को विदेशों में, चुनिंदा एटीएम से नकदी का उपयोग करने के लिए कार्ड का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड के सदस्य, हर 15 दिन में यूएसडी 1000 के बराबर भारतीय रुपये या कंपनी की सीमा के अनुसार निर्दिष्ट नकद का उपयोग कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि नकद अग्रिम पर वित्त शुल्क अगले दिन से लगाया जाता है।

### घ) टोकन के लिए दैनिक लेन-देन की सीमा (कार्डसदस्य के लिए टोकन के लिए इसे सेट करना अनिवार्य नहीं है)

-आपकी दैनिक लेन-देन की सीमा कार्ड पर समग्र सीमा के भीतर होगी।

-आपके कार्ड पर अपडेट की गई सीमा (यदि कोई हो) तो आपकी दैनिक लेन-देन की सीमा ["बढ़ी हुई कार्ड सुरक्षा"](#) के भीतर होगी।

-आपकी दैनिक लेन-देन की सीमाएं अमेरिकन एक्सप्रेस का स्थान नहीं लेंगी

प्राधिकरण और नीति के अनुसार आंतरिक जांच के अधीन अस्वीकृत किया जा सकता है।

### 3. बिल और भुगतान

#### क) बिलिंग विवरण (खाते का विवरण) - आवधिकता और भेजने का तरीका

प्रत्येक बिलिंग अवधि के दौरान किसी भी गति विधि या कार्ड खाते पर बकाया राशि के लिए एक मासिक विवरण, सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्डसदस्य या सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) को संदेश वाहक या नियमित डाक के माध्यम से या ई-मेल अधिसूचना के माध्यम से भेजा जाएगा। हालाँकि, इस अवधि के लिए कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है जिसमें पिछले महीने में खाते पर कोई बकाया नहीं है और कोई लेन देन नहीं हुआ है। किसी भी कारण से कथन की प्राप्ति न होना, देय भुगतान ना करने का वैध कारण नहीं है। कार्डसदस्य को अगर अपने सामान्य विवरण की तारीख से 10 दिनों के भीतर विवरण प्राप्त नहीं होता है तब कार्डसदस्य को देय राशि की जांच के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस को कॉल करना होगा। कार्डसदस्य <https://www.americanexpress.com> पर लॉगऑन करके भी अपने बयान देख सकते हैं और अमेरिकन एक्सप्रेस सम्पर्कित (ऑनलाइन) खाते के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

#### ख) देय राशि / देय तिथि

सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्डसदस्य को देय तिथि के अनुसार, खाते के विवरण में दर्शाई गई पूरी राशि का भुगतान करना आवश्यक है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो धारा 1 (छ) के अनुसार प्रभार लगाया जाएगा। भुगतान बाद के बयानों में स्वीकार किया जाता है।

#### ग) भुगतान का तरीका / तरीके

कार्ड के सदस्यों को भारतीय रुपए में, देय तिथि तक भुगतान करना होगा। कार्ड खाते का भुगतान इन में से किसी भी सुविधा जनक तरीके से किया जा सकता है:

**राष्ट्रीय विद्युत धन स्थानान्तरण (एनईएफटी)** - राष्ट्रीय विद्युत धन स्थानान्तरण (एनईएफटी) के माध्यम से किसी भी बैंक से अगले दिन अपने अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड बिल भुगतान को सम्पर्कित करें। अपने कार्ड को आदाता के रूप में पंजीकृत करते समय निम्नलिखित विवरण भरना सुनिश्चित करें -

**प्राप्तकर्ता नाम** : अमेरिकन एक्सप्रेस  
**प्राप्त कर्ता खाता संख्या** : 37XXXXXXXXXXXXXX  
(XX आपके कार्ड नंबर के अंतिम 13 अंकों का प्रतिनिधित्व करता है)  
**बैंक का नाम** : स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक  
**प्राप्तकर्ता खाता प्रकार** : चालू  
**आईएफएससी कूट लिपि** : एससीबीएल0036020  
**शाखा का पता** : मानक चार्टर्ड बैंक, नारायण मंज़िल, 23 बाराखंभा मार्ग,  
नई दिल्ली -110001

यदि आप मानक चार्टर्ड सम्पर्कित बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं तो आईएफएससी कोड की आवश्यकता नहीं है। आप भुगतान को संसाधित करने के लिए बस दूसरे एससीबी बैंक खाते में स्थानांतरण विकल्प का चयन कर सकते हैं।

अपने धन को कार्य दिवस\* पर 3 (pm) बजे तक और सप्ताहांत पर सुबह\*\* 10 (am) बजे तक स्थानान्तरण करें जिससे वे अगले ही दिन रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़ कर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को क्रेडिट कर दिए जाये। लेन-देन की विफलता से बचने के लिए सही कार्ड नंबर डालना भी सुनिश्चित करें।

\* अपने बैंक द्वारा समय पर प्रसंस्करण के अधीन।

\*\* सप्ताहांत के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित सप्ताह के किसी भी शनिवार या रविवार को गिरने वाले कार्य दिवस शामिल हैं। हालांकि बैंक द्वारा या संबंधित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किसी भी छुट्टी को एक सप्ताहांत में शामिल नहीं करता है।

### सीधे डेबिट

आप प्रत्येक महीने अपने बैंक खाते से सीधे डेबिट के लिए नामांकन कर सकते हैं और कार्ड को क्रेडिट कर सकते हैं। भारत राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (डेबिट) के माध्यम से खाते को क्रेडिट करें।

### ऑनलाइन (सम्पर्कित)

अपने कार्ड बिल का भुगतान, कहीं भी, कभी भी तीन सरल चरणों में करें। बस [www.americanexpress.co.in](http://www.americanexpress.co.in) लॉगऑन करें। अभी अपने "पे बिल" पर क्लिक करें। अपना कार्ड विवरण और बैंक खाता भरें जिससे आप भुगतान करना चाहेंगे:

- **रूपए / यूपीआई / यूपीआई क्यूआर कोड** - हम निम्नलिखित विद्युत प्रकार के माध्यम से भी भुगतान स्वीकार करते हैं:

- (i) रूपए द्वारा संचालित डेबिट कार्ड;
- (ii) एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) (भीम-यूपीआई); तथा
- (iii) एकीकृत भुगतान त्वरित प्रतिक्रिया कोड (यूपीआई क्यूआर कोड) (भीम-यूपीआई क्यूआर कोड)।

### क्रॉसचेक / ड्राफ्ट

कृपया अपना क्रॉस किया हुआ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प (AEBK) कार्ड नं 37 \*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* चेक/ ड्राफ्ट बनायें। कृपया चेक के पीछे अपना नाम और संपर्क नंबर लिखें,  
इसे मेल करें:

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प,  
साइबर सिटी टॉवर "सी", डीएलएफ भवन नंबर 8,  
सेक्टर - 25, डीएलएफ सिटी फेज़ II,  
गुडगांव -122002

चेक / ड्राफ्ट अधिमानतः आपके कार्ड खाते में समय पर क्रेडिट सुनिश्चित करने और दंडात्मक शुल्क से बचने के लिए भुगतान की देय तिथि से कम से कम 4 दिन पहले एक अमेरिकन एक्सप्रेस जमा खाना (ड्रॉपबॉक्स) में गिरा दिया जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि आरबीआई ने अपने निर्देश डीपीएसएस (सीएचई) / 569 /01.02.003/2017-18 को दिनांकित 21 जून, 2018 को सीटीएस-2010 मानक के अनुरूप नहीं होने वाले चेक के समाशोधन सत्र की आवृत्ति कम कर दी है। तीन सीटीएस ग्रीड केंद्रों में इस तरह के गैर-अनुपालन वाले चेक की निकासी करने के लिए अलग सत्र की आवृत्ति, 1 सितंबर 2018 से कम हो जाएगी, अब यह महीने में एक बार हो जाएगी (महीने का दूसरा बुधवार, 12 सितंबर से शुरू) और दिसंबर 31, 2018 से बंद कर दिया जाएगा। इसलिए, यदि आप चेक के माध्यम से अपने कार्ड खातों में भुगतान करते हैं जो कि सीटीएस-2010 मानक के अनुरूप नहीं हैं, तो इसकी प्राप्ति में देरी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप विलंब शुल्क / ब्याज शुल्क लगाया जा सकता है। हम आपको समय पर प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए सीटीएस-2010 मानक अनुरूप जांच के माध्यम से अपने कार्ड खातों में भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

कार्डसदस्य के कार्ड के विरुद्ध प्राप्त भुगतान को उस ही क्रम में सभी दरों, शुल्क और अन्य शुल्कों, ब्याज शुल्क, नकद अग्रिमों और खरीद के खिलाफ समायोजित किया जाएगा।

#### **कृपया ध्यान दें:**

- i) कृपया सुनिश्चित करें कि कॉर्पोरेट कार्ड खाते का कोई भी भुगतान कॉर्पोरेट के नाम पर रखे गए बैंक खाते से किया जाता है या यदि भुगतान सीधे कॉर्पोरेट कार्ड के कार्डसदस्य द्वारा किया जा रहा है तो भुगतान कार्ड के कार्डसदस्य के अपने बैंक खाते से किया जाना चाहिए।
- ii) भारत के गैर-निवासी द्वारा आयोजित भारत-जारी अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के लिए भुगतान प्राथमिक कार्डसदस्य के नाम में ऐनआरई / एनआरओ खाते के माध्यम से किया जाना चाहिये।
- iii) अमेरिकन एक्सप्रेस को संसाधित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, और न ही किसी कार्डसदस्य द्वारा भुगतान एग्रीगेटर के माध्यम से किए गए किसी भी भुगतान के लिए कोई गारंटी / वारंटी प्रदान करता है जो अमेरिकन एक्सप्रेस वेबसाइट या ऐप पर दिखाई नहीं देता है।

#### **घ) बिल सम्बन्धित विवाद सन्कल्प**

कॉर्पोरेट कार्ड खाते के मासिक विवरण की किसी भी विसंगतियों को अमेरिकन एक्सप्रेस को 24 घंटे कॉर्पोरेट सेवा हेल्पलाइन नंबरों पर सूचित किया जाना चाहिए या विवरण की तारीख के 60 दिनों के भीतर लिखित रूप में अमेरिकन एक्सप्रेस को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड खाते के शुल्क के संबंध में जानकारी प्रदान कर के कार्डसदस्य की सहायता के लिए उचित कदम उठाएगा। यदि कार्डसदस्य विवरण के 60 दिनों के भीतर विवरण में किसी त्रुटिया चूक के बारे में अमेरिकन एक्सप्रेस को सूचित नहीं करता है, तो विवरण को किसी भी राशि को छोड़ कर पूरा करने के लिए निर्णायक रूप से व्यवस्थित किया जाएगा, जिसे अनुचित तरीके से खाते में जमा किया गया है।

सदस्यता इनाम के बिंदुओं की पूर्ति व्यापारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर निर्भर करती है। इनाम अंक के संबंध में किसी भी चिंता के लिए कार्डमेम्बर को ग्राहक सेवा से संपर्क करना चाहिए।

#### **ङ) कार्डसदस्य के लिए हमारे 24 घंटे प्लेटिनम कॉर्पोरेट सेवा कॉल सेंटर के संपर्क विवरण**

क्या कार्डसदस्य को किसी सहायता की आवश्यकता है, किसी भी सहायता के लिए कार्डसदस्य इन नंबरों पर अमेरिकन एक्सप्रेस को 24 घंटे कॉर्पोरेट सेवा पथकर मुफ्त (हेल्पलाइन) नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: 1800-419-1092 (टोलफ्री) और + 91-124-280-1092

#### **च) शिकायत निवारण - अधिकारियों से संपर्क करने के लिए विशेष संपर्क करें**

यदि सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) / कार्डसदस्य का सवाल अनसुलझा है, तो कार्डसदस्य कंपनी के संबंध प्रबंधक को शिकायत करने के लिए संबोधित कर सकता है,

<p><b>पहले स्तर में इज़ाफ़ा</b>  प्रबंधक - कार्यकारी पत्राचार इकाई  साइबर सिटी, टॉवर “सी”, डीएलएफ इमारत  नंबर.8  अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प  सेक्टर 25, डीएलएफ सिटी फेज़ II  गुड़गांव -122002 (हरियाणा)  टेलीफोन नंबर .: 0124-3362172 (सोमवार से  शुक्रवार सुबह 8:30 से शाम 5:00 बजे तक)  ईमेल: <a href="mailto:Manager-CustomerServicesindia@aexp.com">Manager-CustomerServicesindia@aexp.com</a></p>	<p><b>दूसरा स्तर में इज़ाफ़ा</b>  <b>सुश्री प्रियमीत कौर</b>  ग्राहक सेवा की मुखिया  अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प  साइबर सिटी, टॉवर “सी”, डीएलएफ इमारत  नंबर.8 सेक्टर 25, डीएलएफ सिटी फेज़ II  गुड़गांव - 122002 (हरियाणा)  टेलीफोन नंबर 0124-3362044 (सोमवार से  शुक्रवार सुबह 8:30 से शाम 5:00 बजे तक)  ईमेल: -<a href="mailto:Head-CustomerServicesindia@aexp.com">Head-CustomerServicesindia@aexp.com</a></p>
---	--

यदि आप बैंक द्वारा प्रदान की गई शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं हैं या आपको हमारे साथ शिकायत दर्ज करने के एक महीने के भीतर यानी 30 दिनों के भीतर बैंक से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, तो आप शिकायत निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण लेन-देन और अन्य आवश्यक विवरणों के साथ बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय में शिकायत की जा सकती है। (30 दिन की अवधि ग्राहक से मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त होने के बाद मानी जाएगी) एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना के मुख्य विशेषताएं / विवरण के लिए [यहां क्लिक](#) करें।

### **एकीकृत बैंकिंग लोकपाल संपर्क विवरण**

**शिकायत दर्ज करने के लिए लिंक:** <https://cms.rbi.org.in>

**ईमेल आईडी :** [crpc@rbi.org.in](mailto:crpc@rbi.org.in)

**पता :** केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ 160017

### **छ) कार्ड जारी कर्ता का पूरा डाक पता**

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प,  
साइबर सिटी, टॉवर“सी”, डीएलएफ भवन नंबर8,  
सेक्टर - 25, डीएलएफ सिटी फेज़ II,  
गुड़गांव -122002, हरियाणा, भारत

### **ज) विदेशी मुद्रा में प्रभार**

यदि आपकी कंपनी कॉर्पोरेट कार्डसदस्य को अपनी विदेश यात्रा के दौरान सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड का उपयोग करने की अनुमति देती है और सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्डसदस्य अपनी यात्रा के दौरान अपने सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड का उपयोग करता है या विदेशी मुद्रा से जुड़े किसी भी लेनदेन के लिए, कार्डसदस्य को सहमत होना है सभी प्रचलित एक्सचेंज नियमों, विनियमों का पालन करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”) द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली दिशा-निर्देश और संशोधन, समय-समय पर विदेश यात्रा से संबंधित और सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्डसदस्य द्वारा विदेशी मुद्रा का उपयोग और आरबीआई द्वारा कंपनी को दिए गए किसी विशेष / सामान्य अनुमोदन नियम और शर्तों का अनुपालन करने के लिए। कॉर्पोरेट कार्ड एक विश्वस्तर पर मान्य



कार्ड है और नेपाल और भूटान में व्यापारी स्थानों पर विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए मान्य नहीं है और इस तरह के भुगतान भारतीय रुपए में कार्डसदस्य से लिए जाएंगे।

सभी विदेशी मुद्रा शुल्क और नकद निकासी को भारतीय रुपए में परिवर्तित किया जाएगा जिस तारीख को विदेशी अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेजरी सिस्टम चार्ज की प्रक्रिया करता है। गैर-यू.एस.डॉलर शुल्क, यू.एस. डॉलर के माध्यम से परिवर्तित किए जाएंगे, चार्ज राशि को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करके और फिर उस अमेरिकी डॉलर राशि को भारतीय रुपए में परिवर्तित करके अमेरिकी डॉलर शुल्क को सीधे भारतीय रुपए में परिवर्तित किया जाएगा। जब तक कानून द्वारा एक विशिष्ट दर की आवश्यकता नहीं होती है, विदेशी अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेजरी सिस्टम प्रसंस्करण तिथि से पहले के कारोबारी दिन से प्रथागत उद्योग स्रोतों से चुनी गई अंतर बैंक दरों के आधार पर रूपांतरण दरों का उपयोग करेगा, जो कि विदेशी मुद्रा रूपांतरण चिह्न 3.5% से बढ़ा है। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प (AEBC) को प्रस्तुत किए जाने से पहले तृतीय पक्षों द्वारा परिवर्तित कोई भी शुल्क उनके द्वारा चयनित दरों पर होगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें:

<https://www.americanexpress.com/content/dam/amex/in/legal/noticeboard/Generaloverview-of-limits-on-Foreign-Exchange-Transactions.pdf>

### झ) संपर्क रहित भुगतान

ईबीसी द्वारा जारी किए गए कार्ड संपर्क रहित भुगतान को सक्षम करने के लिए सुसज्जित हैं। संपर्क रहित मोड के माध्यम से भुगतान एक पिन में प्रवेश किए बिना एकल लेनदेन के लिए अधिकतम INR 5,000 के लिए अनुमत है। INR 5,000 से अधिक की राशि के लिए किसी भी लेन-देन को टैप + पिन या चिप + पिन द्वारा या तो प्रमाणित किया जाना चाहिए। हालांकि, भुगतान के लिए संपर्क रहित मोड का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है। यदि पसंद किया जाता है, तो ग्राहकों के पास सभी लेन-देन का भुगतान करने का विकल्प होता है, जो कि लेनदेन के मूल्य के बावजूद, चिप + पिन के उपयोग से संपर्क लेनदेन के रूप में होता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया [americanexpress.co.in/contactless](https://americanexpress.co.in/contactless) देखें।

मैं समझता हूं कि मुझे जारी किया गया अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए सक्षम होगा, और कॉन्टैक्टलेस मोड के माध्यम से भुगतान करने से जुड़ी तकनीक, इसके उपयोग और जोखिमों को समझेगा।

\*बिना पिन प्रमाणीकरण के आई.एन.आर 5000 तक संपर्क रहित लेनदेन का समर्थन करने के लिए हमारे कुछ व्यापारी टर्मिनल अभी भी अपग्रेड प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, यदि किसी वजह से इस संक्रमण काल के दौरान कोई भी असुविधा होती है तो उसके लिए हमें खेद है

### ज) लेन-देन चेतावनी

कार्डसदस्य समझते हैं कि उन्हें भेजे गए लेन-देन चेतावनी एसएमएस में मर्चेन्ट स्थापना का छोटा नाम (केवल 12 अक्षर) ही हो सकता है। वे पूर्ण व्यापारी नाम के लिए संबंधित ईमेल (यदि पंजीकृत हैं) / खाते का विवरण देख सकते हैं।

### ट) ग्राहक मुआवजा नीति

एक बैंक के रूप में, हमारे पास ग्राहक मुआवजा नीति है, जिसका उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना है जिससे बैंक क्षतिपूर्ति करे ग्राहक को बैंक द्वारा सेवा में कमी या चूक या कमीशन के किसी भी

कार्य के कारण होने वाली किसी भी वित्तीय हानि के लिए सीधे बैंक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नीति में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

(ए) धोखाधड़ी या अन्य लेनदेन से उत्पन्न त्रुटिपूर्ण डेबिट

(बी) विफल एटीएम लेनदेन को उलटना;

(सी) ग्राहकों को विलंबित क्रेडिट पर ब्याज भुगतान; तथा

(डी) बैंक के अन्य अनधिकृत कार्यों से ग्राहक को वित्तीय नुकसान होता है।

विस्तृत नीति के लिए, कृपया अमेरिकन एक्सप्रेस वेबसाइट पर "हमारे कोड और नीतियां" अनुभाग देखें।

#### 4. चूक और परिस्थितियां

**क) एक कार्डसदस्य को चूककर्ता के रूप में रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया (नोटिस अवधि सहित)**  
निम्नलिखित में से एक या अधिक परिस्थितियों में कॉर्पोरेट कार्ड खाता अतिदेय या चूक माना जायेगा:

- चेक / एनएसीएच / एनईएफटी द्वारा भुगतान जिसके द्वारा पूरी राशि प्राप्त नहीं होती।
  - देय तिथि तक (खाते के विवरण के अनुसार) पूर्ण राशि का भुगतान करने में विफलता।
  - यदि उस के कॉर्पोरेट कार्ड के संबंध में कार्डसदस्य द्वारा अमेरिकन एक्सप्रेस को दिया गया कोई भी बयान गलत या भ्रामक हो।
  - कॉर्पोरेट कार्ड कार्यक्रम के नियमों और शर्तों का अनुपालन ना करने पर।
  - यदि कार्डसदस्य के दिवालिया होने की याचिका जारी की जाती है या किसी अन्य लेनदार द्वारा उस की किसी भी संपत्ति को जब्त करने का कोई प्रयास किया जाता है।
  - यदि कॉर्पोरेट कार्डसदस्य का खाता चूक रूप से है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस चाहता है की वह अपने खाते से सम्बंधित सभी बकाया रकम का तुरंत भुगतान करे और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अवैतनिक बिलिंग विवरण में बताए अनुसार अगर कॉर्पोरेट कार्डसदस्य का खाते का बकाया राशि का भुगतान 90 दिनों के बाद भी नहीं किया जाता है तो ऐसे कार्डसदस्य को चूककर्ता के रूप में घोषित कर दिया जायेगा।
- कार्डसदस्य के नाम को वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में क्रेडिट ब्यूरो को प्रस्तुत किया जा सकता है।

**ख) चूक प्रतिवेदन को वापस लेने की प्रक्रिया और वह अवधि जिसके भीतर चूक रिपोर्ट होगी बकाया राशि के निपटान के बाद वापस लिया जाएगा**

अतिदेय कार्ड खातों के लिए भुगतान की रसीद पर आंकड़ों का कोई ताज़ा / आद्यातानिकरण (अपडेशन), क्रेडिट सूचना कंपनियों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक द्वारा भुगतान की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों की अवधि के लिए अधिकृत होगा।

#### ग) चूक / खाता अतिदेय के मामले में पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया

चूक के मामले में अमेरिकन एक्सप्रेस निम्नलिखित अनुवर्ती और वसूली चैनल का उपयोग करता है:

- **एसएमएस** - संदेश कॉर्पोरेट कार्ड के सदस्य द्वारा दिए गए मोबाइल फोन नंबर पर भेजे जा सकते हैं, जो उसके किए गए भुगतान की याद दिलाते हैं।

• **पत्र द्वारा / मेल द्वारा** - कार्डसदस्य द्वारा प्रदत्त मेल पते पर पत्र भेजे जा सकते हैं ताकि अतिदेय राशि, भुगतान की देय तिथियों और बाद में विलंब शुल्क के साथ-साथ भुगतान ना करने के परिणामों की जानकारी दी जा सके।

• **टेलीफोन:** कार्डसदस्य को अपने भुगतान की स्थिति की जांच करने और अति देय राशि के बारे में सूचित करने के लिए कार्यालय और निवास के टेलीफोन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।

• **क्षेत्र का दौरा:** किसी भी बाहरी एजेंट सहित अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा नियुक्त एक अधिकृत वसूली कार्मिक द्वारा क्षेत्र का दौरा कार्डसदस्य के संपर्क पते पर किया जाएगा। वसूली कार्मिक, कार्डसदस्य को अतिदेय खाते को नियमित करने के लिए सलाह देगा और कार्डसदस्य की कार्ड खाते में यदि कोई भी समस्या / चिंता है को भी सुलझाएगा / सुनेगा ।

• **कानूनी सहारा:** कार्डसदस्य के चूक होने की स्थिति में अमेरिकन एक्सप्रेस के एकमात्र विवेक पर कानूनी सहारा लिया जा सकता है।

#### **घ) कार्डसदस्य की मृत्यु / स्थायी अक्षमता के मामले में बकाए की वसूली**

कॉर्पोरेट (सीमित देता संस्था) कार्डसदस्य की मृत्यु के मामले में, कंपनी को कॉर्पोरेट कार्ड लेखा को नियमित करना आवश्यक है। एक व्यक्तिगत देयता पर कॉर्पोरेट कार्डसदस्य के लिए, मृतक के अगले के साथ एक पत्र और टेलीफोन अनुवर्ती किया जाएगा, उन्हें मृतक कॉर्पोरेट कार्डसदस्य की बकाया राशि के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें खाता नियमित करने की सलाह दी जाएगी।

#### **ङ) पॉलिसी के कार्डसदस्य और सक्रियण के लिए उपलब्ध बीमा कवर**

एक अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट कार्डसदस्य के रूप में आप स्वचालित रूप से मानार्थ व्यवसाय यात्रा दुर्घटना बीमा और यात्रा असुविधा बीमा के हकदार हैं जब आप कॉर्पोरेट कार्ड के लिए निर्धारित सामान्य वाहक यात्रा टिकट लेते हैं। बीमा कवर आई सी आई सी आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाता है और यह कवर के नियमों और शर्तों के अधीन है। कार्डसदस्य से आई सी आई सी आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बीमा दावों को सीधे निपटाने का अनुरोध किया जाता है।

इस बीमा कवर के लिए नामितियों को नियुक्त करने के लिए कार्डसदस्य को नामांकन फॉर्म भरना होगा। यह कार्डसदस्य की जिम्मेदारी है कि वह बीमा कंपनी के साथ पहले से भरे हुए नामांकन फॉर्म को लागू करे। नामांकन फॉर्म आपके कॉर्पोरेट कार्ड के साथ आपको भेजे गए स्वागत पैक के साथ प्रदान किया जाता है।

यदि आपको बीमा नामांकन फॉर्म की एक प्रति चाहिए तो कृप्या हमें कॉल करें।

बहिष्करण और सीमाएं लागू होती हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृप्या हम से संपर्क करें और मास्टर नीति की एक प्रति प्राप्त करें।

#### **नीति के सक्रियण की तिथि**

नामांकन पर, कार्डसदस्य वार्षिक लाभ के समय पर भुगतान के अधीन, स्वचालितरूप से बीमा लाभ के लिए पात्र हो जाता है। ये लाभ तब तक रहेंगे जब तक कार्ड खाता मान्य रहेगा।

## रुपए में अधिकतम कवरेज

आवरण	अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड कॉर्पोरेट कार्ड	अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट मीटिंग कार्ड & अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट क्रय कार्ड	अमेरिकन एक्सप्रेस व्यापार यात्रा खाता (यात्रा आवरण)
1. दुर्घटना में मृत्यु वायु दुर्घटना	₹7,500,000	₹3,000,000	₹3,000,000
गैर वायु दुर्घटना सड़क / रेल	₹500,000	₹300,000	₹300,000
स्थायी कुल विकलांगता	₹100,000	शून्य	शून्य
2. चेक किए गए सामान का नुकसान	₹100,000	₹25,000	₹25,000
3. जाँच किए गए सामान की प्राप्ति में देरी	₹20,000	₹5,000	₹5,000
4. पासपोर्ट / दस्तावेजों का नुकसान	₹10,000	₹10,000	₹10,000
5. योजक उड़ान छूटी	₹10,000	शून्य	शून्य
6. एक दुर्घटना के बाद चिकित्सा व्यय	₹200,000	शून्य	शून्य

## 5. कॉर्पोरेट कार्डसदस्य की समीक्षा / समापन

**क) सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड के आत्म समर्पण की प्रक्रिया** - कारण सूचना सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्डसदस्य की समाप्ति / निरस्तीकरण के लिए, कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता को सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड को रद्द करने के अपने निर्णय को अमेरिकन एक्सप्रेस को सूचित करने की आवश्यकता है। आपकी सभी बकाया राशि तुरंत देय हो जाएगी। सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड की समाप्ति केवल तभी प्रभावी होगी जब अमेरिकन एक्सप्रेस को खाते के संबंध में बकाया सभी राशियों का भुगतान प्राप्त होगा।

**ख)** एक बार जब कार्ड रद्द या अवरुध हो जाता है (उन मामलों तक सीमित नहीं है, जहां कार्ड एक नए उत्पाद में स्थानांतरित किया जा रहा है), यह तत्काल प्रभाव से आगे के उपयोग के लिए मान्य नहीं होगा और किसी भी लेनदेन सहित, लेकिन आवर्ती लेनदेन / स्थायी निर्देशों तक सीमित नहीं, कार्ड पर निर्देशों को अस्वीकार कर दिया जायेगा। यदि कार्ड रद्द या अवरुध हो गया है, तो कृपया कार्ड को दो टुकड़ों में काटकर निम्नलिखित पते पर अमेरिकन एक्सप्रेस को वापस कर दें: अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, साइबर सिटी, टॉवर "सी", डीएलएफ भवन नंबर 8, सेक्टर - 25, डीएलएफ सिटी फेज़ II गुडगांव -122002. इसके अतिरिक्त कृपया ऐसे कार्ड के लिए चुने गये निर्देशों को रद्द करने के लिए उचित कदम उठाएँ।

**ग)** (केवाईसी) गैर-अनुपालन की स्थिति में, अमेरिकन एक्सप्रेस आपके कार्ड को ब्लॉक या रद्द कर देगा, और आवर्ती शुल्क और स्थायी निर्देश सहित सभी लेनदेन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आपका कार्ड तभी सक्रिय होगा जब आपका खाता केवाईसी का अनुपालन करेगा।

## 6. कार्ड पर आवर्ती लेनदेन

- क) कार्ड के नवीनीकरण, कार्ड बदलने या किसी अन्य कारण से हर बार कार्ड नंबर या कार्ड साख (जैसे समाप्ति तिथि/सीवीवी आदि) में कोई परिवर्तन होता है; तो कार्डधारकों को फिर से पंजीकरण करना होगा और व्यापारी की वेबसाइट/प्लेटफॉर्म/पोर्टल पर नए स्थायी निर्देश सेट करने होंगे।
- ख) अंतर्राष्ट्रीय आवर्ती लेनदेन 1 अक्टूबर-2021 से प्रभावी नहीं होंगे। सेवाओं में व्यवधान से बचने के लिए कार्डसदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों को सीधे भुगतान करें।
- ग) व्यापारी की वेबसाइट/प्लेटफॉर्म/पोर्टल आदि पर स्थायी निर्देशों के संशोधन या रद्दीकरण के समय, स्थायी निर्देश एसआई पंजीकरण के समय कार्ड के विवरण को सत्यापित करने के लिए आपके कार्ड से INR 1 या 2 की टोकन राशि डेबिट की जाएगी। कृपया आश्वस्त रहे, यह कार्डसदस्य को बिल नहीं किया जाएगा।

## 7. हानि / चोरी होना / कार्ड का दुरुपयोग

क) कार्ड के नुकसान / चोरी / दुरुपयोग के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - कार्ड जारी कर्ता को सूचना देने की विधि कार्डसदस्य को अमेरिकन एक्सप्रेस को तुरंत सूचित करना चाहिए अगर सीमित देता संस्था (कॉर्पोरेट) कार्ड खो गया हो, चोरी हो गया हो या नहीं तो प्राप्त होने पर या यदि संदेह है कि कार्ड का उपयोग उसकी अनुमति के बिना किया जा रहा हो। इस नुकसान या चोरी के बारे में सूचित करने के लिए कार्डसदस्य 24 घंटे के हेल्पलाइन फोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं [3(ज)] देखें।

अमेरिकन एक्सप्रेस खोए हुए / चोरी हुए कार्ड के उपयोग को तुरंत रोक देगा, और उसके बदले में एक प्रतिस्थापन कार्ड जारी करेगा। यदि खो गया कार्ड बाद में पुनर्प्राप्त किया जाता है, तो इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके बदले प्रतिस्थापन कार्ड और उसके बाद के नवीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। मूल कार्ड की पुनर्प्राप्ति तुरंत अमेरिकन एक्सप्रेस को बताई जानी चाहिए और इसे आधे में काट कर अमेरिकन एक्सप्रेस को वापस करना होगा।

### ख) ऊपर (क) के मामले में कार्डसदस्य की देयता

i) बशर्ते कि कार्ड के सदस्य ने अच्छे विश्वास के साथ काम किया हो, क्रेडिट कार्ड के किसी भी अनाधिकृत उपयोग से उत्पन्न अमेरिकन एक्सप्रेस के प्रति उसकी देयता **शून्य** हो जाएगी यदि अमेरिकन एक्सप्रेस धोखा धड़ी के 3 कार्यदिवसों के भीतर रिपोर्ट प्राप्त करता है। यदि धोखा धड़ी 3 कार्यदिवसों से परे की सूचना दी जाती है, तो ग्राहक की अधिकतम देयता आईएनआर (भारतीय रुपये) 1000 तक सीमित हो जाएगी।

ii) अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा अपनाई और कार्यान्वित की गई सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तरह काफी मजबूत है, जो कार्डसदस्य डेटा को अनाधिकृत पहुंच से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त हैं, और वर्तमान में आरबीआई द्वारा अनिवार्य पीसीआई डीएसएस प्रमाणन का विकल्प है। हालांकि अमेरिकन एक्सप्रेस पीसीआई डीएसएस प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पाने पर भी अमेरिकन एक्सप्रेस, कार्डसदस्य द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के नुकसान को सहन करेगा।

iii) संवर्धित ग्राहक सुरक्षा के लिए, अमेरिकन एक्सप्रेस भारत में मैगस्ट्रिप / गिरावट वापस मोड पर लेनदेन की अनुमति नहीं देता है।

iv) अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा अपने मोबाइल एप्लिकेशन के संबंध में अपनाई गई और लागू की गई सुरक्षा विशेषताएं अंतरराष्ट्रीय मानकों की हैं जो कार्ड के सदस्यों को धोखाधड़ी / अनधिकृत पहुंच से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। हालांकि अमेरिकन एक्सप्रेस मोबाइल एप्लिकेशन के आसपास

सुरक्षा सुविधाओं में किसी भी स्थापित चूक के कारण कार्डसदस्य को होने वाली धोखाधड़ी के नुकसान को सहन करेगा, बशर्ते कार्ड सदस्य ने अच्छे विश्वास में काम किया हो।

## 8. वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति

बैंक किसी भी सेवाप्रदाता को, चाहे वह भारत में हो या विदेशों में स्थित हो और चाहे वह किसी भी बैंक के सहयोगी या किसी तीसरे पक्ष का हो, अपने संपूर्ण विवेकाधिकार पर गतिविधियों ( अपने सामान की बिक्री, विपणन, सेवाओं आदि) को आउटसोर्स / असाइन कर सकता है भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार। बैंक अपना डेटा गोपनीयता नीति के अनुसार, बैंक द्वारा किसी भी प्रकृति की आउटसोर्स सेवाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से ऐसे सेवा प्रदाताओं को कार्डसदस्य के खाते का विवरण प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

## 9. क्रेडिट ब्यूरो के लिए अस्वीकरण

कार्डसदस्य स्वीकार करता है कि मौजूदा व्यवसाय प्रथाओं के अनुसार, बैंक समय-समय पर क्रेडिट कार्ड (एस) / चार्जकार्ड (एस) से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा करने के लिए अधिकृत है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत क्रेडिट सूचना कंपनियों को बिना कार्डसदस्य को अतिरिक्त सूचना दिये। अमेरिकन एक्सप्रेस ने कार्डसदस्य को सूचित किया कि बैंक को क्रेडिट सूचना कंपनियों के लिए समय-समय पर उनके / उनके खाते से संबंधित डेटा (सकारात्मक या नकारात्मक) की रिपोर्ट दी जाएगी, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ (विनियमन) अधिनियम 2005 के अनुसार अधिकृत है। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्डसदस्य जानकारी को अपने समूह / सहयोगी / संस्थाओं या कंपनियों के साथ भी साझा करेगा जब अमेरिकन एक्सप्रेस के पास अन्य वित्तीय सेवा उत्पादों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी, जब तक कि कार्डसदस्य द्वारा स्पष्टरूप से अन्यथा ना कहा जाए।

सूचना प्रदाताओं की गोपनीयता अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा व्यवहार और प्रक्रिया और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम 2011 ("भारतीय गोपनीयता नियम") का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हमारे डेटा गोपनीयता सिद्धांत अमेरिकी एक्सप्रेस और उसके कर्मचारियों, भागीदारों और विक्रेताओं को एकत्रित करने, उपयोग करने, संग्रह करने, साझा करने, हटाने, या अन्यथा प्रक्रिया (सामूहिकरूप से "प्रक्रिया") करने के बारे में बताते हैं। भारत में व्यक्तिगत जानकारी इसके डेटा संरक्षण और गोपनीयता सिद्धांतों के अनुसार है।

अमेरिकन एक्सप्रेस गोपनीयता नीति के विवरण के लिए और यह जानने के लिए कि हम जानकारी कैसे एकत्र करते हैं, संसाधित करते हैं और संग्रहीत करते हैं, कृपया लॉगऑन करें:

<https://www.americanexpress.com/in/content/privacy-statement.html>

## 10.) एसएमए और एनपीए वर्गीकरण और उन्नयन

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे और आय की पहचान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, आरबीआई द्वारा जारी किए गए अग्रिमों से संबंधित परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान और समय-समय पर उसमें संशोधन, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित श्रेणियों के अनुसार यदि देय तिथि पर

अतिदेय का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंकों को उधारकर्ताओं को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है।

श्रेणियाँ	वर्गीकरण के लिए आधार- मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय
एसएमए-0	30 दिनों तक
एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
एनपीए	90 दिनों से अधिक

देय तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में उधारकर्ता खातों को अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाता है। इसी तरह, उधारकर्ता खातों का एसएमए के साथ-साथ एनपीए के रूप में वर्गीकरण प्रासंगिक तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाता है और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण तिथि कैलेंडर तिथि होती है जिसके लिए दिन की समाप्ति प्रक्रिया चलती है।

उदाहरण: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी। यदि यह जारी रहता है अतिदेय रहते हैं, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर एसएमए -1 के रूप में टैग किया जाएगा। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2021 होगी।

इसी तरह, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर SMA-2 के रूप में टैग किया जाएगा। और यदि आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

इसके अलावा, एनपीए के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ता खाते को 'मानक' संपत्ति के रूप में अपग्रेड किया जाता है, यदि उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान किया जाता है।

### पुनर्गठन के मामले में:

1. मानक के रूप में वर्गीकृत खातों को तुरंत गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में डाउनग्रेड कर दिया जाता है और एनपीए का पुनर्चना से पहले के समान परिसंपत्ति वर्गीकरण जारी रहेगा; जब तक अन्यथा आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

2. उन्नयन के लिए शर्तें

ए.) एमएसएमई खातों के लिए जहां ऋणदाताओं का कुल एक्सपोजर ₹25 करोड़ से कम है: एक खाते को 'मानक' में अपग्रेड करने के लिए तभी विचार किया जा सकता है जब वह निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन प्रदर्शित करता हो।

बी.) अन्य सभी खातों के लिए जो एमएसएमई नहीं हैं: एक खाता तभी अपग्रेड किया जाएगा जब खाते में सभी बकाया ऋण/सुविधाएं समाधान योजना (आरपी) के कार्यान्वयन की तारीख से लेकर जिस तारीख तक आरपी के अनुसार बकाया मूल ऋण की राशि का कम से कम 10 प्रतिशत और पुनर्गठन के हिस्से के रूप में स्वीकृत ब्याज पूंजीकरण, यदि कोई हो, चुकाया जाता है।

सी.) किसी खाते के उन्नयन के संबंध में अन्य नियामक दिशानिर्देश लागू कानूनों के अनुसार कुछ खातों पर भी लागू हो सकते हैं।

उधारकर्ता खातों के एसएमए/एनपीए वर्गीकरण पर ये निर्देश खुदरा ऋण सहित सभी ऋणों पर लागू होते हैं, चाहे उधार देने वाली संस्था के जोखिम का आकार कुछ भी हो।

अधिक जानकारी के लिए कृपया भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) पर प्रकाशित दिशानिर्देश देखें

उपरोक्त के अलावा, कृपया अमेरिकन कॉर्पोरेट कार्ड के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्ड के साथ आप के पास भेजे गए कार्डसदस्य समझौते का संदर्भ लें।





<http://www.americanexpress.co.in/>

American Express Corporate Cardmember Helpline Number  
All-India Toll-Free 1800-419-1222 or +91-124-280-1222

American Express Banking Corp.

Cyber City, Tower C, DLF Bldg. No. 8, Sector - 25, DLF City Phase II, Gurgaon -  
122002, Haryana

American Express Banking Corp., Incorporated in USA. ® Reistered trademark of  
American Express Company